



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 96 राँची, मंगलवार, 19 फाल्गुन, 1947 (श०)
10 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प
25 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-30/2018 का.- 1144-नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 2339 दिनांक- 11.06.2019 के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०-631/03), तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- धनबाद नगर निगम के अधीन अपर नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में मे० व्योम टेक्नोलॉजी लि० के द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन किए बगैर जल्दबाजी में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किया गया है।

आरोप संख्या-2:- श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के उक्त कृत से सरकारी राशि रु० 2,65,04,668.00/- का दुरुपयोग हुआ।

आरोप संख्या-3:- माननीय महापौर महोदय द्वारा संचिका में पृच्छा किए जाने के बावजूद श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के द्वारा न तो संवेदक से वसूली का प्रयास किया गया और न ही संवेदक पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार संवेदक व्योमटेक टेक्नोलॉजी का भुगतान पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2. उक्त आरोप पत्र में श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 4713, दिनांक- 09.09.2021 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक- 57, दिनांक- 20.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य में श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, उनके बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य की समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री प्रसाद के द्वारा अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर भुगतान हेतु संचिका वरीय पदाधिकारी को उपस्थापित की गयी ।

(ख) उनका यह दायित्व था कि अधीनस्थ कर्मों एवं उप नगर आयुक्त के द्वारा उपस्थापित किये गये विपत्र में अंकित सामग्रियों के मात्रा का मिलान एवं सत्यापन अपने स्तर से भी किया जाय ।

(ग) उनके द्वारा मात्र संचिकाओं में पृच्छा किया गया, परन्तु उनके द्वारा उपस्थापित विपत्रों में अंकित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया ।

(घ) उनके द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के गुणवत्ता के लिए प्रभारी City Manager एवं अन्य को जिम्मेवार बताया गया है, जबकि उनको सामान की मात्रा का सत्यापन, उन सामानों को संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि करा कर ही भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए थी ।

(ङ) श्री प्रसाद के द्वारा मात्र अधीनस्थ कर्मियों एवं पदाधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उनके द्वारा अधीनस्थ कर्मियों एवं पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन को बिना अपने स्तर से जाँच किये ही अग्रसारित किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा बिना सत्यापन के भुगतान की प्रक्रिया हेतु जल्दबाजी में संचिका अग्रसारित कर कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है ।

5. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में अंकित उपर्युक्त असहमति के आधार पर श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, से०नि० झा०प्र०से० (को० क्र०-631/03), तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 01(एक) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा करने संबंधी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 1402, दिनांक- 07.03.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दुओं को अंकित कर जाँच प्रतिवेदन श्री प्रसाद को भेजते हुए प्रस्तावित दण्ड पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री प्रदीप कुमार प्रसाद के द्वारा आवेदन दिनांक-27.03.2025 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों की समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में अपना पक्ष नहीं रखकर संवेदक के पक्ष में ज्यादा बातों का उल्लेख किया गया है।

(ख) विभाग के द्वारा अंकित असहमति के कारणों के संबंध में किसी प्रकार का संतोषजनक एवं तथ्यों के साथ ठोस जबाब श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित नहीं किया गया है।

(ग) संचालन पदाधिकारी के द्वारा अंकित है कि विपत्र में अंकित सामानों के सत्यापन की जिम्मेवारी मूलतः तकनीकी विशेषज्ञों की थी।

चूँकि श्री प्रसाद प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में धनबाद नगर निगम में पदस्थापित थे। अतएव श्री प्रसाद का यह दायित्व बनता था कि संवेदक के द्वारा समर्पित विपत्रों में अंकित सामानों के मात्रा का सत्यापन एवं उसके क्रियान्वयन का सत्यापन करने के उपरांत ही संवेदक के द्वारा समर्पित विपत्रों के भुगतान की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी को करें। एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के लिए कनीय कर्मियों पर मात्र दोषारोपण कर श्री प्रसाद अपने दायित्वों से नहीं बच सकते हैं।

(घ) श्री प्रसाद द्वारा अंकित है कि योजना का कुल बजट 18 करोड़ था एवं उनके द्वारा मात्र 4.91 करोड़ का भुगतान हेतु ही संचिका उपस्थापित की गयी। योजना के लिए अभी भी लगभग 13 करोड़ अवशेष है। श्री प्रसाद का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि योजना में संवेदक के द्वारा नियम विरुद्ध समर्पित किसी भी विपत्र का भुगतान हेतु अनुशंसा नहीं किया जाना चाहिए था। यदि श्री प्रसाद के द्वारा सही तरीके से पर्यवेक्षण किया जाता तो योजनाओं में सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोका जा सकता था।

(ड) नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5724, दिनांक- 15.12.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रासंगिक योजनाओं में अनियमितता के लिए संबंधित कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुसंधान के क्रम में प्राथमिक अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज उक्त कांड का सत्य प्रतीत होना पाया गया है।

7. समीक्षोपरांत श्री प्रदीप कुमार प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए श्री प्रदीप कुमार प्रसाद झा०प्र०से० (को० क्र०-631/03), तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 01(एक) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने से संबंधित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 3482, दिनांक- 13.06.2025 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध उपर्युक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से किया गया।

8. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 412, दिनांक- 06.02.2025 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार प्रसाद को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनकी पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 01(एक) वर्ष तक करने के अधिरोपित दण्ड पर परामर्श दिया गया है।

9. अतः श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, से०नि० झा०प्र०से० (को० क्र०-631/03), तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद, के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 01(एक) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, से०नि० झा०प्र० से० (को०क्र०-618/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
